Witness .....PW. 02 ..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

the.....10th .....day of.....**...**जुलाई 2023 ....Witness's apparent age.....46.....
Sates on affirmation ..... My name is. . **दिनेश कुमार उपाध्याय.....**
Son of .....Shri गोवर्धन उपाध्याय.....occupation..... पुरोहित .....
address.....,निवासी–मुर्रा भट्ठी, गुढ़ियारी, थाना–गुढ़ियारी, जिला–रायपुर छ0ग0।.....

नोट :– साक्षी को शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय–3:35 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर.एस. भामरा अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते शासन

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं। घटना के बाद आरोपी को गिरफतारी के समय थाना में देखा था। हितेश उपाध्याय मेरा पुत्र है और आहत विजय पाण्डेय मेरा साला है। घटना दिनांक ३० तारीख २०१९ की है महीना मुझे याद नहीं है। घटना दिनांक को शाम के समय लगभग ६–७ बजे के आसपास थाना धरसीवां की पुलिस मुझे फोन द्वारा सूचित किया कि आपके लड़का का एक्सीडेंट हो गया है और उसे दिलीप यादव द्वारा मारा गया है मुझे जानकारी होने से मैं हितेश और विजय से मिलने नारायणा अस्पताल गया, जहां नारायणा अस्पताल में हितेश व विजय का इलाज डॉक्टर द्वारा किया गया। अस्पताल में मैंने देखा कि हितेश व विजय दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे होश में नहीं थे, बाद में होश आने पर विजय से मेरी बात हुई, विजय ने मुझे बताया कि उसे और हितेश को डंडा से दिलीप नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट किया गया है। जिससे मैं चोंट लगने से बेहोश होकर नीचे गिर गया।

2/ घटना की सूचना मेरे द्वारा थाना तिल्दा नेवरा में लिखित में दी गयी। मेरी उक्त लिखित शिकायत **प्र०पी–५** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल का पुलिस द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया गया। नजरी नक्शा तैयार किये जाने का विवरण फार्म **प्र०पी–६** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा मेरे समक्ष किसी प्रकार से कोई जब्ती की कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त जब्ती पत्रक **प्र०पी–७** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3/ थाना तिल्दा–नेवरा द्वारा मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किये थे। हॉस्पिटल में विजय लगभग १५ दिन तक भर्ती रहा तथा हितेश का इलाज हॉस्पिटल में लगभग १ माह तक भर्ती था, जहां डॉक्टर द्वारा उसके नाक की सर्जरी की गयी।

Witness .....PW. 02 ..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

टीप – इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। विचार बाद अनुमति प्रदान किया गया।

3/ यह कहना सही है कि जब्ती पत्रक प्र०पी–७ के अनुसार मेरे समक्ष घटनास्थल ग्राम सांकरा मुख्य मार्ग से एक सीलबंद प्लास्टिक डिब्बा में घटनास्थल में लगे आहत दिनेश उपाध्याय एवं विजय कुमार पाण्डेय के खून को रूई में पोंछकर खून आलूदा रूई तथा एक प्लास्टिक के डिब्बा में सादी रूई को पुलिस द्वारा जब्त किया गया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आलोक दत्त झा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

4/ मुझे घटना की जानकारी शाम ६ से ७ के बीच में हुई थी। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र हितेश ने थाना धरसीवां को मेरे फोन नंबर की जानकारी दी थी तब थाना धरसीवां ने मुझे फोन लगाया था उसके बाद मैं सीधे हॉस्पिटल में जाकर दोनों हितेश और विजय से मिला था। मुझे आज जानकारी नहीं है कि श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में किस डॉक्टर ने दोनों का इलाज किया था।

5/ यह कहना सही है कि जो घटना तारीख बता रहा हूं उससे लगभग एक सप्ताह बाद थाना खरोरा में जाकर मैंने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी और उसी लिखित शिकायत के आधार पर थाना खरोरा द्वारा प्रथम सूचना पत्र लिखा गया था। मेरे सामने ही थाना तिल्दा–नेवरा में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था।

6/ यह कहना गलत है कि मैंने अपने शिकायत पत्र में मेरे पुत्र और साले का एक्सीडेंट होना और सड़क में चल रही भैंस से टकराने की बात लिखाई थी। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र और साला भैंस से टकराकर अपनी गाड़ी से अनियंत्रित होकर अपनी गाड़ी से नीचे गिर गये थे। यह कहना सही है कि मुझे जानकारी है कि आरोपी भैंसों का मालिक है और उसी की एक भैंस से टकराकर चोटिल हितेश और विजय गिर पड़े थे। यह कहना गलत है कि एक्सीडेंट के बाद गिरने के कारण हितेश और विजय का चोटें आयी थी।

7/ मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भैंस से एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही गर्भवती भैंस की सड़क पर ही मृत्यु हो गयी थी। यह कहना गलत है कि अपने मृत भैंस की मुआवजा राशि आारोपी द्वारा हमसे मांगा गया था और मुआवजा राशि न देना पड़े इसलिये हमनें थाना तिल्दा नेवरा में झूठी शिकायत लिखाई थी। यह कहना गलत है कि घटना के समय मेरे फुफा जी थाना तिल्दा नेवरा में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे।

8/ यह कहना सही है कि मेरे पुत्र हितेश और साला विजय दोनों का चिकित्सा अलग–अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। यह कहना सही है कि मेरे पुत्र हितेश की चिकित्सा लगभग एक माह तक करने

Witness .....PW. 02 ..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

वाले चिकित्सक का नाम मै आज बता नहीं सकता। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र का एक भी दिन किसी हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज नहीं कराया गया है। मैं बी०ए० फाइनल तक की पढ़ाई किया हूं। यह कहना सही है कि दस्तावेज पढ़कर मैं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों दस्तावेजों को समझ लेता हूं।

9/ यह कहना सही है कि मारपीट की घटना अपने आंखों के सामने नहीं देखी है। यह कहना सही है कि मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं और आरोपी को फंसाना चाहता हूं।

समय–4:15 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....